patnawomenscollege.in/journal

Home Science
Explore, 2010, Page No. 117-119
Vol. II No. I

बिहार के विकास में कृषि विविधीकरण एवं बागवानी क्षेत्र के बढ़ते कदम-वैशाली जिला का एक आनुभविक अध्ययन

नीता सिंह*, सरिता सिंह*, स्नेहा शर्मा* और सुजाता झा**
*एम.ए. द्वितीय वर्ष (2008-2010), स्नातकोत्तर गृहविज्ञान विभाग, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, पटना
**व्याख्याता, स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, पटना

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग ***76%*** जनता कृषि एवं कृषि संबंधी विभिन्न व्यवसायों पर ही निर्भर है। साथ ही यहाँ कृषि के लिए आवश्यक सभी प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। परंतु, प्रस्तुत अध्ययन द्वारा यह पाया गया है कि कृषकों में पर्याप्त जागरुकता के अभाव के कारण इस दिशा में विकास की दर अपेक्षाकृत धीमी है। अत: इस अध्ययन द्वारा कृषकों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, नवीन तकनीकी जानकारियों एवं विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओं से अवगत कराने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त केले की उत्तम पैदावार हेतु आवश्यक दशाओं एवं इस दिशा में रोजगार संबंधी नवीन अवसरों की भी तलाश की गई है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु बिहार के वैशाली जिले के 50 कृषकों का दैव-निदर्शन प्रणाली द्वारा चयन किया गया एवं साक्षात्कार प्रणाली द्वारा शोध सामग्री का संकलन किया गया । प्राप्त तथ्यों को बारंबरता श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत कर उन्हें प्रतिशत के रुप में व्यक्त किया गया है एवं उन्हें ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के उपरान्त निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि वर्त्तमान समय में भी उच्च शिक्षित कृषकों की संख्या काफी कम है एवं ***12%*** कृषक निरक्षर है। अधिकांश (***96%***) कृषक जैविक खाद का प्रयोग न कर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। फलत: मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन कृषकों का विपणन एवं वितरण क्षेत्र भी अत्यंत सीमित है, जिससे कुल लाभांश भी अपेक्षाकृत कम होता है।

शब्द कुंजी (***Key Words***):- कृषि योजनाएँ, बागवानी।

परिचय (Introduction) बिहार एक विकासशील राज्य है। इस राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि है। यहाँ की लगभग 76% जनता कृषि एवं कृषि संबंधी विभिन्न व्यवसाय पर ही निर्भर है। साथ ही यहाँ कृषि के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन, जैसे-उपजाऊ भूमि, जल-संसाधन, जलवायु, मानव-संसाधन इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन उपरोक्त संसाधनों के बावजूद राज्य में कृषि के क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है। इसका प्रमुख कारण तकनीकी ज्ञान का अभाव, पूंजी की कमी, दोषपूर्ण प्रबंधन प्रणाली इत्यादि है।

बागवानी कृषि आधारित क्षेत्रों के अंतर्गत एक विकासोन्मुख क्षेत्र है। राज्य की कुल भूमि के लगभग 15% क्षेत्रफल पर बागवानी कार्य किया जाता है। उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार सब्जियों का तीसरा एवं फलों का चौथा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। फलों के उत्पादन में केले का द्वितीय स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ लीची, मखाना, अमरुद एवं भिंडी का सर्वाधिक उत्पादन होता है।

वर्त्तमान समय में सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा National Horticulture Mission नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह योजना अप्रैल, 2005 में शुरु की गई है, जिसकी कार्यावधि 2011-12 तक निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त National Development Council द्वारा मई, 2007 में National Food Security Mission नामक योजना शुरु की गई है। साथ ही, इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' भी शुरु की गई है, जिसके अनुसार विभिन्न राज्यों में कृषि संबंधी योजना एवं व्यवसाय, आदि हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समुचित सहायता प्रदान की जाती है।

उत्पादन के दृष्टिकोण से केला बिहार का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है एवं राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन वैशाली जिला के अंतर्गत होता है। यह एक पौष्टिक फल है, जिसका कैलोरी मूल्य 116 (प्रति 100 ग्राम) है। इसमें आर्द्रता 70.1%, प्रोटीन 1.2%, वसा 0.3%, खनिज लवण 0.8 %, रेशा 0.4% एवं कार्बोहाइड्रेट 7.2% होता है। यह लौह-लवण का भी उत्तम स्त्रोत है। इसमें लौह-लवण की मात्रा 6 mg/100 gm होती है।

अध्ययन की समस्या (Problem of the study)

वर्त्तमान समय में बिहार में कृषि एवं कृषि आधारित क्षेत्रों में विकास की अनेक संभावनाएं है, लेकिन नवीन तकनीकी ज्ञान के अभाव में यह क्षेत्र अधिक विकसित नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त अशिक्षा, जनजागरुकता का अभाव, पूँजी की कमी, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, दोषपूर्ण विपणन पद्धति आदि के कारण भी स्थिति पूर्णतया संतोषजनक नहीं है। अत: इस अध्ययन द्वारा उपर्युक्त समस्याओं को यथासंभव कम करने का प्रयास किया गया है, ताकि कुल उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि की जा सके । इससे राज्य को विकास की ओर अग्रसर करने में सहायता प्रदान की जा सकती है।

अध्ययन का उद्देश्य (Purpose of the study)

वर्त्तमान समय में राज्य में कृषि संबंधी विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। परंतु, कृषकों को इस संदर्भ में पूर्ण जानकारी न होने के कारण वे इससे पूर्णत: लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। अत: इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को नवीन तकनीकी ज्ञान एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराना है, ताकि इस दिशा में अपेक्षित सुधार लाया जा सके ।

लक्ष्य (Objectives)

इस अध्ययन के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं-

(1) बिहार के आर्थिक विकास में बागवानी क्षेत्र के योगदान के विषय में जानकारी प्राप्त करना ।

(2) फलों, विशेषत: केले की उत्तम पैदावार हेतु आवश्यक दशाओं की जानकारी प्राप्त करना।

(3) बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार के विभिन्न अवसरों का पता लगाना एवं

(4) राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं के बारे में कृषकों को जागरुक करने का प्रयास करना ।

अध्ययन प्रविधि (Methodology)

(a) प्रतिदर्श :- प्रस्तुत अध्ययन के लिए वैशाली जिले के 50 कृषक, जो केले की खेती करते हैं, द्वारा आवश्यक सूचनाएँ एकत्र की गई हैं ।

(b) प्रतिचयन विधि :- इसके लिए दैव-निदर्शन प्रणाली द्वारा सूचनादाताओं का चयन किया गया ।

(c) प्रदत्त प्राप्त करने की प्रक्रिया :- सूचनादाताओं से आवश्यक सूचना एकत्र करने हेतु साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग किया गया है ।

(d) प्रदत्त विश्लेषण :- प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण प्रतिशत के आधार पर किया गया है, जिसे ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है ।

परिणाम एवं परिचर्चा (Result & Discussion)

प्रस्तुत अध्ययन में सूचनादाताओं द्वारा विभिन्न तथ्यों को एकत्र किया गया एवं इन्हें ग्राफ के माध्यम से व्यक्त किया गया है । यथा-

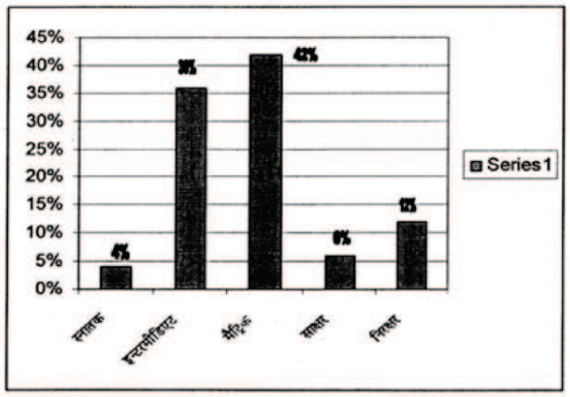

Fig. 1 – उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता

इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि आज भी उच्च शिक्षा प्राप्त कृषकों का प्रतिशत लगभग नगण्य है, जबकि अधिकांश कृषक मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट हैं । साथ ही 12% कृषक आज भी निरक्षर हैं ।

पर्याप्त शिक्षा के अभाव के कारण कृषक नवीन तकनीकों, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, आदि से अवगत नहीं हो पाते हैं ।

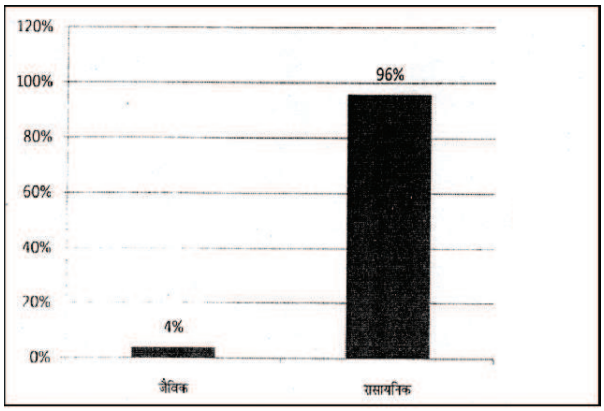

Fig. 2 – उर्वरक की किस्म

इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि अधिकांश कृषक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जबकि जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। अत: कृषकों को जैविक खाद के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना आवश्यक है ।

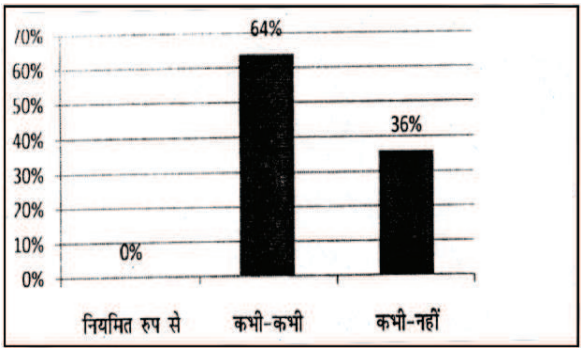

Fig. 3 – सूचनादाताओं की कृषि आधारित कार्यक्रमों में भागीदारी

इस ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि केवल 64% कृषक ही कृषि आधारित कार्यक्रमों में कभी-कभी जाते हैं, जबकि शेष 36% कृषक ऐसे कार्यक्रमों में कभी नहीं जाते हैं। जबतक कृषक बंधुओं की इनके कार्यक्रमों में पूर्ण सहभागिता नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम पूर्णत: सफल सिद्ध नहीं हो सकते।

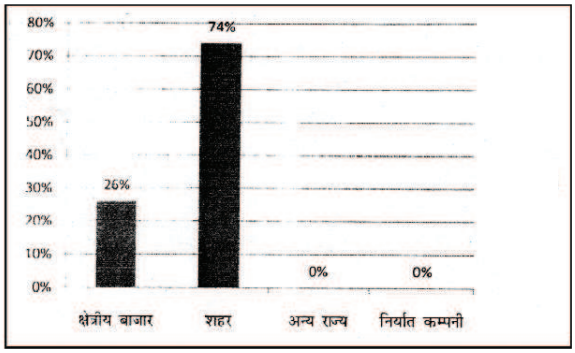

Fig. 4 – उत्पाद के विक्रय का क्षेत्र

इस ग्राफ से स्पष्ट है कि कुल सूचनादाताओं में से 26% कृषक अपने उत्पाद का क्षेत्रीय बाजार में एवं शेष 74% कृषक अपने उत्पाद को शहरों में बेचते हैं। अर्थात् अधिकांश कृषकों का विक्रय क्षेत्र शहर है। किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु व्यापक व विस्तृत विपणन क्षेत्र आवश्यक है। अत: विक्रय क्षेत्र के दायरे को विस्तृत कर इस दिशा में सुधार लाया जा सकता है ।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि-

- वर्त्तमान समय में भी उच्च शिक्षित कृषकों की संख्या काफी कम है एवं 12% कृषक निरक्षर हैं ।
- अधिकांश (96%) कृषक जैविक खाद का प्रयोग न कर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है।
- आज भी कृषि आधारित कार्यक्रमों में नियमित रुप से भाग लेने वाले कृषकों की संख्या शून्य है। फलत: कृषक बन्धु इन कार्यक्रमों से पूर्णत: लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।
- अध्ययन के आधार पर यह पाया गया है कि अधिकांश कृषकों का विपणन क्षेत्र अत्यंत सीमित है। फलत: कुल लाभांश भी अपेक्षाकृत कम होता है।

सुझाव (Recommendations)

इस अध्ययन के आधार पर कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं। जैसे-

- इस क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों का रुझान विकसित करने हेतु कृषि आधारित बागवानी क्षेत्र की शिक्षा प्रारंभिक स्तर से ही दी जानी चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में यथासंभव विकास किया जा सके।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं से कृषकों को अवगत कराना, ताकि वे इससे लाभान्वित हो सकें एवं बागवानी क्षेत्र में अपेक्षित विकास लाया जा सके ।
- समय-समय पर सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले कृषि संबंधी कार्यक्रमों में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे उन्हें नवीन वैज्ञानिक कृषि पद्धति एवं तकनीकी जानकारी हासिल होगी।
- विपणन एवं वितरण का दायरा विस्तृत एवं व्यापक किया जाना चाहिए।
- रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद के प्रयोग पर विशेष बल देना चाहिए क्योंकि यह मिट्टी की उर्वराशक्ति बढ़ाने में भी सहायक है।
- कृषकों को खाली समय में अन्य सहायक उद्योग-धंधे करने चाहिए। जैसे-मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, अन्य व्यवसाय इत्यादि।

References

1. *Kurian. J.C. (2004), Plants That Heals, Oriental watchman Publishing House, Pune.*
2. *Planning & Development Department. GoB (2006), Bihar Approach to 11th Five Year Plan.*

Websites

www.biharonline.gov.in
www.banana.com
www.fao.org
www.tropicalfruitnursery.com
http://jaibihar.com
http://www.mahbir-online.com
http://www.indiaexpress.com
http://www.agriculture-industry
http://ideas.respec.org.